2010:सीजीएचसी:12383

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधीश और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दण्डिक अपील संख्या 803/1990

प्रीतमलाल एवं अन्य
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ
सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता
मैं सहमत हूँ

सही /-
मुख्य न्यायाधीश
11.08.2010

दिनांक 12.08.2010 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें ।

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश
11.08.2010

2010:सीजीएचसी:12383

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधीश और
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दण्डिक अपील संख्या 803/1990

अपीलार्थी : 1. प्रीतमलाल, पिता मोतीराम कलार, उम्र 23 वर्ष ।
2. घनश्याम, पिता मोतीराम कलार, उम्र 26 वर्ष ।
(अपीलार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध अपील को दिनांक 09.04.2010 के आदेश द्वारा उपस्थित किया गया)
दोनों निवासी ग्राम पीपर खार । थाना और तहसील डोंगरगढ़,
जिला राजनंदगांव
3. श्रीमती कला बाई पुत्री मोतीराम कलार, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम कुर्सीपार - कला, थाना एवं तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव ।
(अपीलार्थी संख्या 3 की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध अपील को दिनांक 09.04.2010 के आदेश द्वारा उपस्थित किया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रतिवादी : मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दण्डिक अपील)

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(12.08.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा द्वारा उद्घोषित किया गया|

1. तीनों अपीलार्थीओं को धारा 302/34 भा. दं. सं. के तहत दोषी ठहराया गया और सत्र

परीक्षण संख्या 27/90 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा 12 जुलाई, 1990 को दिए गए निर्णय के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।

2. अपीलार्थी संख्या 2 - घनश्याम और अपीलार्थी संख्या 3 - कला बाई की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी अपील को आदेश दिनांक 09.04.2010 द्वारा उपशमित किया गया ।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :-

अपीलार्थी भाई - बहन थे । मृतक दयाराम के साथ उनके संबंध शत्रुतापूर्ण थे । दिनांक 18-19 अगस्त, 1989 की मध्य रात्रि में, मृतक दयाराम अपने घर के बरामदे में एक खाट पर सो रहा था । उसका पुत्र नंदलाल उर्फ नाथू (आ. सा.-1) और पुत्रवधू शीला बाई (आ. सा.-3) भी एक कमरे में सो रहे थे जो उनसे 6 फीट की दूरी पर था । आरोप है कि आधी रात को, अपीलार्थी उनके घर में घुस आए और मृतक दयाराम की हत्या कर दी। इस घटना के गवाह नंदलाल उर्फ नाथू (आ. सा.-1) और शीला बाई (आ. सा.-3) थे । अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक की हत्या करने के बाद, अपीलार्थीओं ने मृतक के शव को एक सार्वजनिक कुएँ में फेंक दिया । सुबह शव कुएँ में देखा गया । यशवंतराव (आ. सा. - 2 - मृतक का पुत्र) ने पुलिस थाने जाकर मर्ग सूचना (प्रदर्श - पी/11) दर्ज कराई । जाँच अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श - पी/1) दी और मृतक के शव की जाँच (प्रदर्श -पी/2) तैयार की । शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल, डोंगरगढ़ भेजा गया, जहाँ डॉ. एन. सचदेव (आ. सा. - 12) द्वारा पोस्टमार्टम किया गया । पोस्टमार्टम प्रतिवेदन प्रदर्श पी/12ए है। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन के अनुसार, मृत्यु का कारण दम घुटना था, लेकिन मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी गई थी । इन सबके आधार पर, प्रदर्श पी/13 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । आगे की अन्वेषण के दौरान, उपरोक्त दोनों चश्मदीद गवाहों के बयान दिनांक 21.08.89 और दिनांक 22.08.89 को दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 18-19 अगस्त, 1989 की मध्यरात्रि में अपीलार्थीओं ने मृतक की हत्या की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी ।

4. अपीलार्थीओं की दोषसिद्धि नंदलाल (आ. सा. - 1) और शीला बाई (आ. सा. - 3) के चक्षुदर्शी बयान पर आधारित थी ।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि दोनों चश्मदीद गवाह आरोपी परिवार के विरोधी थे; मृतक के पुत्र और पुत्रवधू होने के नाते वे हितबद्ध गवाह थे; हालाँकि उन्होंने दिनांक 18-19 अगस्त, 1989 की मध्य रात्रि में घटना देखने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दिनांक 21.08.89 और दिनांक 22.08.89 को दी, अर्थात् 2-3 दिन बाद, जबकि वे पूरे समय पुलिस के संपर्क में थे; अभियोजन पक्ष द्वारा देर से साक्ष्य दर्ज करने का दिया गया स्पष्टीकरण झूठा और स्वीकार्य नहीं है; इसलिए, इन गवाहों की अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया ।

7. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

8. जहाँ तक हितबद्ध गवाहों से संबंधित तर्क का संबंध है, हरबंस कौर व अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 2074 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधि में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठे गवाह माना जाए । इसके विपरीत, जब पक्षपात का तर्क दिया जाता है, तो यह

दर्शाना आवश्यक है कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठा फंसाने का कारण था ।

9. नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 1835 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक गवाह जो मृतक या पीड़ित का रिश्तेदार है अपराध के 'हितधारक' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता । 'हितधारक' शब्द का अर्थ है कि गवाह का किसी न किसी तरह से या किसी अन्य अप्रत्यक्ष उद्देश्य से अभियुक्त को दोषी ठहराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'हित' है । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक करीबी रिश्तेदार को 'हितधारक' गवाह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता । वह एक 'स्वाभाविक' गवाह है । हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए । यदि ऐसी जाँच में, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से विश्वसनीय पाया जाता है, तो दोषसिद्धि ऐसे गवाह की 'एकमात्र' गवाही पर आधारित हो सकती है । मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है । इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आमतौर पर असली अपराधी को छोड़ने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. सोनेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 7988 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर अवधारित किया कि केवल इसलिए कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता । किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला संबंध कोई कारक नहीं है । अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपा पाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा देता है । यदि झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया जाता है, तो आधार तैयार करना होगा । ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण

अपनाना होगा और साक्ष्य का विश्लेषण करके यह पता लगाना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है ।

11. इसलिए, यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि रिश्तेदार गवाहों के अभिसाक्ष्य पर केवल इस आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे मृतक के रिश्तेदार थे । हालाँकि, उनके साक्ष्य की पूरी सावधानी और सतर्कता से जाँच की जानी चाहिए और यदि ऐसा साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो दोषसिद्धि उनकी ऐसी अभिसाक्ष्य के आधार पर ही की जा सकती है ।

12. अब हम दो चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच करेंगे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. नंदलाल (आ. सा. - 1) मृतक का पुत्र है । उसने अपीलार्थीओं और अपने परिवार के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । उसने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उसके पिता अपने घर के बरामदे में एक खाट पर सो रहे थे । वह अपनी पत्नी शीला बाई (आ. सा. - 3) के साथ पास के एक कमरे में सो रहे थे । आधी रात के लगभग 12 बजे, उसने अपने पिता के रोने की आवाज सुनी, जिस पर वह जाग गया और चिमनी जला दी । उसकी पत्नी भी जाग गई । उन्होंने देखा कि अपीलार्थी - प्रीतमलाल एक हाथ से अपने पिता का गला घोंट रहा था और दूसरे हाथ से उसने उसका मुंह बंद कर रखा था । अपीलार्थी-घनश्याम अपने पिता की छाती दबा रहा था और अपीलार्थी - कला बाई उसके पैर पकड़े हुए थी । जब उसने पूछा कि वे उसके पिता को क्यों मार रहे हैं, तो अपीलार्थी - प्रीतमलाल ने उसे घर के अंदर जाने और चुप रहने के लिए कहा, अन्यथा उसे भी मार दिया जाएगा । इसके बाद, तीनों अपीलार्थी उसके पिता को बाड़ी की ओर ले गए । वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर के अंदर गया । लगभग ऐसा ही साक्ष्य शीला बाई (आ. सा. -3) ने भी दिया है ।

14. हम इन दोनों गवाहों के आचरण पर गौर करते हैं । रात में इतनी गंभीर घटना देखने के बाद भी, उन्होंने उस समय कोई शोर नहीं मचाया । आ. सा.-3 ने मुख्य परीक्षा में गवाही दी कि सुबह जब कोटवार ने उन्हें बताया कि उनके ससुर का शव कुएँ में है, तो यह मामला उनके पति के संज्ञान में भी आया और उसके बाद यशवंतराव (मृतका के दामाद) और उनके पति रिपोर्ट दर्ज कराने गए । इससे पता चलता है कि यशवंतराव ने शिकायत दर्ज कराने से पहले इन दोनों गवाहों से मुलाकात की थी, यानी मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/11), जो उन्होंने 19 अगस्त 1989 को दर्ज कराई थी, लेकिन मर्ग सूचना में अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या किए जाने के बारे में कोई संकेत नहीं है । यदि वास्तव में दो प्रत्यक्षदर्शियों ने रात में घटना देखी थी, तो उन्हें यशवंतराव (अ.सा.-2) को, जो उनके मामले में शिकायत दर्ज कराने गए थे, यह बात बतानी चाहिए थी । वे इसे सार्वजनिक रूप से बताने से डर सकते हैं, लेकिन यशवंतराव उनके परिवार के सदस्य थे, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे यह बात उन्हें बताएँ । इन गवाहों का उपरोक्त आचरण भी उनके अभिसाक्ष्य पर संदेह पैदा करता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त के अतिरिक्त, हम यह भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि नन्दलाल (आ. सा.-1) दिनांक 19.08.89 को अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार की गई मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श-पी/2) का साक्षी था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा के कंडिका-16 में यह साक्ष्य दिया है कि पुलिस द्वारा उसे एक नोटिस (प्रदर्श-पी/1) दिया गया था और उसने जाँच कार्यवाही में भाग लिया था तथा उस पर अपने हस्ताक्षर भी किए थे । इस समय भी, उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि वास्तव में मृतक की हत्या अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त तरीके से की गई थी । इससे नन्दलाल (आ. सा.-1) के अभिसाक्ष्य पर पुनः संदेह उत्पन्न होता है । अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका-25 में, उसने यह साक्ष्य दिया कि दिनांक 19.08.89 को उसने पुलिस को खाट दिखाई थी और बताया था कि मृतक उक्त खाट पर सो रहा था । यद्यपि उसने यह गवाही दी कि उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी व्यक्ति ने उसके

पिता की हत्या कैसे की, परन्तु हमने पाया कि उक्त तिथि को ऐसा कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था । उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पुलिस को यह नहीं बताया कि दिनांक 19.08.89 को घटना कैसे घटी । प्रतिपरीक्षण के कंडिका 27 में उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उनसे दो दिन तक पूछताछ की और उन्होंने पुलिस को यह सब बताया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में ऐसा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया । इसके विपरीत, अन्वेषण अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक बृजराम गुप्ता (आ. सा.-11) के साक्ष्य में यह बात सामने आई कि दिनांक 19.08.89 को जब वे मृतक दयाराम के घर गए, तो नंदलाल और शीला बाई उनसे मिले, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि घटना कैसे घटी । उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 21.08.89 को उन्होंने मर्ग की जांच बंद कर दी और हत्या की आगे की जांच शुरू की, तभी दिनांक 21.08.89 को नंदलाल ने उपरोक्त तरीके से घटना के बारे में खुलासा किया । मामले के अभिलेख से, हम पाते हैं कि नंदलाल (आ. सा.-1) का 161 का बयान दिनांक 21.08.89 को दर्ज किया गया था और शीला बाई (आ. सा.-3) का 161 का बयान दिनांक 22.08.89 को दर्ज किया गया था । विश्लेषण करने पर, हम पाते हैं कि वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें प्रत्यक्षदर्शी डर आदि के कारण घटना का खुलासा नहीं कर सके और उन्होंने विलम्ब का इस तरह से स्पष्टिकरण दिया है। इसके विपरीत, इस मामले में, प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दिनांक 19.08.89 को जल्द से जल्द पुलिस को यह सब बताया था, लेकिन विशलेषण में उनका यह दावा झूठा पाया गया । इसलिए, इस कारण से उनकी गवाही अविश्वसनीय प्रतीत होती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. बालकृष्ण स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1971 एससी 804 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हत्या के मामले की अन्वेषण के दौरान महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज करने में अन्वेषण अधिकारी की ओर से अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी ऐसे गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देगी ।

वर्तमान मामले में भी, हम पाते हैं कि अन्वेषण अधिकारी की ओर से द. प्र. सं. की धारा 161 के तहत दो चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी हुई है । ये दोनों गवाह पूरे समय पुलिस के संपर्क में थे, उन्होंने 161 के बयान दर्ज कराने से पहले किसी भी मौके पर पुलिस को घटना के बारे में नहीं बताया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच संबंध खराब थे और पहले भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी । हमारी राय है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराने के लिए इन चश्मदीद गवाहों की गवाही पर भरोसा करना उचित नहीं था । इन दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं थी और उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता ।

17. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है । अपीलार्थी संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निरस्त किया जाता है । उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
मुख्य न्यायाधीश

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.